



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-18042026-271900
CG-KA-E-18042026-271900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 1861]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 17 अप्रैल, 2026

का.आ. 1931(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलक (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा नीचे दी गई तालिका के क्र.सं. (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो नीचे दी गई तालिका के क्र.सं. (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित क्र.सं. (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं।

तालिका

क्रम. संख्या.	परियोजना का नाम	ज़िला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तुमकुरु – अरसीकेरे (TK-ASK) खंड में समपार फाटक सं.81 के स्थान पर लिमिटेड हाइट सबवे (LHS) सहित रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण	तुमकुरु	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकुरु-रायदुर्ग परियोजना, तुमकुरु रेलवे	क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा /2026-27/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पूरी, मुख्य इंजीनियर-III /निर्माण, बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 17th April, 2026

S.O. 1931(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of Road Over Bridge with LHS in lieu of LC No. 81 in Tumakuru - Arsikere (TK-ASK) Section, Koppa Village, Tiptur Taluk, Tumakuru District	Tumakuru	Special land acquisition officer, Tumakuru Rayadurga project, Tumakuru Railway	Regional Commissioner, Bengaluru

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III / Construction, Bengaluru Cantonment